पत्रांक : 10/सै०वि०-10-09/2025-331

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

विमुक्ति आदेश

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

औपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक 16/01/2026

विषय : **सैनिक स्कूल, नालंदा में Auditorium-Cum-NDA Motivational Hall के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-277, दिनांक-04.12.2025 के अंतर्गत कुल रू. 5,24,86,000/-(पांच करोड़ चौबीस लाख छीयासी हजार रूपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश : स्वीकृत।

राज्य में सैनिक विद्यालय, गोपालगंज एवं नालंदा में संचालित है। इन विद्यालयों के आधारभूत संरचना का निर्माण करवाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। सैनिक विद्यालय, नालंदा के आधारभूत संरचना विकास से समाज के मेघावी छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होगा।

2. सैनिक स्कूल, नालंदा में 750 व्यक्ति बैठने की क्षमता का Auditorium-Cum-NDA Motivational Hall के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता, BSEIDC, पटना के पत्रांक-8358 दिनांक-19.09.2025 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित रू.13,35,65,000/-(तेरह करोड़ पैंतीस लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। जिसके आलोक में विभागीय स्थायी वित्त समिति के दिनांक-03.10.2025 को हुई बैठक में सैनिक स्कूल, नालंदा में 750 व्यक्ति बैठने की क्षमता का Auditorium-Cum-NDA Motivational Hall के अधिकतम 02(दो) वर्ष में निर्माण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC), पटना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत करायी जाएगी।

3. तद आलोक में सैनिक स्कूल, नालंदा में 750 व्यक्ति बैठने की क्षमता का Auditorium-Cum-NDA Motivational Hall के निर्माण हेतु कुल रू.13,35,65,000/-(तेरह करोड़ पैंतीस लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल रू.3,87,00,000/-(तीन करोड़ सतासी लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति स्वीकृत्यादेश संख्या-277, दिनांक-04.12.2025 के द्वारा प्रदान कर दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष उपलब्ध राशि से कुल रू. 5,24,86,000/-(पांच करोड़ चौबीस लाख छीयासी हजार रूपये) मात्र उपलब्ध करायी जाएगी। अवशेष 4,23,79,000/-(चार करोड़ तेइस लाख उनासी हजार रूपये मात्र) की देयता भारित रहेगी अथवा तृतीय अनुपुरक से मांग की जा सकती है।

4. राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से विहित प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रपत्र BTC-46 पर विपत्र तैयार करा कर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के PLA खाता संख्या-PBBPLA005, Ledger Id.-3850, Ledger Name-STATE P&L Sainik School, Gopalganj & Nalanda में राशि का अंतरण, अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

5. योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, BSEIDC, Patna तथा विद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा की जायेगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी मुख्य अभियंता, BSEIDC, Patna की होगी। विभाग द्वारा चिह्नित वाह्य संस्था द्वारा इस योजनान्तर्गत प्रदत्त की जानेवाली राशि का वाह्य मूल्यांकन भी कराया जा सकेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय का विकलन माँग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–110–अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता उपशीर्ष–0111–सैनिक विद्यालय, विषय शीर्ष–0111-31-05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–21–2202021100111 के अन्तर्गत होगा। संबंधित शीर्ष में 23.50 (तेइस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त विपत्र कोड के संबंधित विषय शीर्ष में प्रथम अनुपुरक आगणन के माध्यम से रू 8,50,00,000/– (आठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त उद्व्यय एवं उपबंध कराया गया है।
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।
8. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।
9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय संकल्प–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं वित विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों, परिपत्रों और अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. विमुक्ति आदेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका 3 और 5(ख)(ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।
12. विमुक्त की जाने वाली राशि स्वीकृत्यादेश संख्या–277, दिनांक–04.12.2025 में स्वीकृत राशि के अधीन है, जिसपर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ–33/टि० के नोट संख्या–30 एवं माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन पृष्ठ–36/टि० के नोट संख्या–40 पर प्राप्त है।
13. संचिका संख्या–10/सै०वि०–10–09/2025 के वर्त्तमान विमुक्ति प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०–43/टि० के नोट–57 पर प्राप्त है।
14. संचिका संख्या–10/सै०वि०–10–09/2025 के उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन पृ0–50–51/टि० के नोट–79 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 10/सै०वि०–10–09/2025...................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 10/सै०वि०–10–09/2025...331.... पटना, दिनांक ...16/01/2026

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, B.S.E.I.D.C, पटना/अवर सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, कमरा नं०–101 डी–1 विंग, सेना भवन नई दिल्ली/वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, B.S.E.I.D.C, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं 21, शिक्षा विभाग/प्राचार्य, सैनिक स्कूल, नालंदा/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना एवं सभी संबंधितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. B.S.E.I.D.C, पटना ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें।

16.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।